संख्या-9/4/27/15/का-2/2015

प्रेषक,

आलोक रंजन,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2 समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

3 समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊः दिनॉक: 28 अगस्त, 2015

विषयः राज्यांधीन लोकसेवाओं और पदों पर आरक्षण की गणना के संबंध में।

महोदय,

1 शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को क्रमशः 21, 02, 27 प्रतिशत वर्टिकल आरक्षण तथा विकलांगजन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, भूतपूर्व सैनिकों (केवल समूह-ग एवं घ के पदों पर) एवं महिलाओं के लिए क्रमशः, 03, 02, 05 एवं 20 प्रतिशत का हारिजॉन्टल आरक्षण निर्धारित किया गया है।

2 शासन के संज्ञान में कतिपय ऐसे प्रकरण आये हैं जिनमें आरक्षित रिक्तियों की गणना निर्धारित प्रतिशत के आधार पर करते समय, गणित के 'राउंडिंग ऑफ' के सिद्धांत के आधार पर रिक्तियों की गणना की जाती है। 'राउंडिंग ऑफ' के सिद्धांत के अनुसार गणना करने पर आरक्षित श्रेणी की रिक्तियॉं, आरक्षित श्रेणी हेतु अनुमन्य प्रतिशत से अधिक हो सकती हैं, जो कि आरक्षण नियमों के विरूद्ध है। शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण प्रतिशत से अधिक आरक्षण प्रदान किया जाना विधिसम्मत नहीं है।

3 उपर्युक्त के दृष्टिगत, सम्यक् विचारोपरांत, यह निर्णय लिया गया है कि आरक्षित रिक्तियों की गणना करते समय गणित के 'राउंडिंग ऑफ' के सिद्धांत को नहीं अपनाया जायेगा, वरन् केवल पूर्णांकों को ही संज्ञान में लिया जायेगा तथा भिन्न (फ्रैक्शन) को नजरअंदाज (इग्नोर) किया जायेगा। उदाहरणार्थ यदि प्रतिशत के आधार पर आरक्षित रिक्तियों की संख्या 1.5 आती है, तो केवल 01 पद/रिक्ति आरक्षित की जाएगी तथा इसी प्रकार आरक्षित रिक्तियों की संख्या 1.99 आगणित होने पर भी आरक्षित पद/रिक्ति 01 ही होगी। अर्थात्, भिन्न (फ्रैक्शन) को नजरअंदाज (इग्नोर) किया जायेगा।

4 अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक रंजन)

मुख्य सचिव।

संख्या- 4/2/1(1)/का-2/2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

2 प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्रीजी।

3 निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण को मा0 मंत्रिगण के सूचनार्थ।

4 निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।

5 प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधानसभा, उत्तर प्रदेश।

6 सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।

7 सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

8 सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।

9 निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।

10 वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।

11 संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को 1000 प्रतियाँ मुद्रित कराकर कार्मिक अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने हेतु।

12 सचिवालय के समस्त अनुभाग।

13 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजीव कुमार)

प्रमुख सचिव।

[redacted]